2018 का विधेयक संख्यांक 126

[दि क्रिमिनल ला (अमेंडमेंट) बिल, 2018 का हिन्दी अनुवाद]

दांडिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2018

भारतीय दंड संहिता, 1860 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

अध्याय 1

प्रारंभिक

5 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दांडिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2018 है । संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

(2) यह 21 अप्रैल, 2018 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

807/15

अध्याय 2

भारतीय दंड संहिता का संशोधन

धारा 166क का संशोधन ।

2. भारतीय दंड संहिता (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् दंड संहिता कहा गया है) की धारा 166क के खंड (ग) में, "धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ" शब्दों, अंको और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376घख" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे । 1860 का 45

धारा 228क का संशोधन ।

3. दंड संहिता की धारा 228क की उपधारा (1) में, "धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ" शब्दों, अंको और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376घख" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 376 का संशोधन ।

4. दंड संहिता की धारा 376 में,--

(क) उपधारा (1) में, "जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा" शब्दों के स्थान पर "जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) के खंड (i) का लोप किया जाएगा ;

(ग) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(3) जो कोई सोलह वर्ष की कम आयु की किसी स्त्री से बलात्संग करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा, तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा :

परंतु ऐसा जुर्माना पीड़ित की चिकित्सा व्ययों और पुनर्वास की पूर्ति करने के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा :

परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय पीड़ित को किया जाएगा ।"।

नई धारा 376कख का अंत:स्थापन ।

5. दंड संहिता की धारा 376क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-- 1860 का 45

बारह वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्संग के लिए दंड ।

"376कख. जो कोई बारह वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री से बलात्संग करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन, कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा, तक की हो सकेगी और जुर्माने से, अथवा मृत्यु से दंडित किया जाएगा :

परंतु ऐसा जुर्माना पीड़ित की चिकित्सा व्ययों और पुनर्वास की पूर्ति करने के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा :

परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का

संदाय पीड़ित को किया जाएगा ।"।

नई धारा 376घक और धारा 376घख का अंत:स्थापन।

6. दंड संहिता की धारा 376घ के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

सोलह वर्ष से कम आयु की स्त्री से सामूहिक बलात्संग के लिए दंड ।

"376घक. जहां व्यक्तियों के समूह में से एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा सब के सामान्य आशय को अग्रसर करने में सोलह वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री से बलात्संग किया जाता है, वहां ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्संग किया है और वह आजीवन कारावास से, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा :

परंतु ऐसा जुर्माना पीड़ित की चिकित्सा व्ययों और पुनर्वास की पूर्ति करने के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा :

परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय पीड़ित को किया जाएगा ।"।

बारह वर्ष से कम आयु की स्त्री से सामूहिक बलात्संग के लिए दंड ।

376घख. जहां व्यक्तियों के समूह में से एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा सब के सामान्य आशय को अग्रसर करने में बारह वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री से बलात्संग किया जाता है, वहां ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्संग किया है और वह आजीवन कारावास से, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा और जुर्माने से अथवा मृत्यु से दंडित किया जाएगा :

परंतु ऐसा जुर्माना पीड़ित की चिकित्सा व्ययों और पुनर्वास की पूर्ति करने के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा :

परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय पीड़ित को किया जाएगा ।"।

धारा 376ङ का संशोधन ।

7. दंड संहिता की धारा 376ङ में, "धारा 376घ" शब्द, अंक और अक्षर के स्थान पर, "धारा 376कख या धारा 376घ या धारा 376घक या धारा 376घख" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

अध्याय 3

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का संशोधन

धारा 53 का संशोधन ।

1872 का 1

8. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् साक्ष्य अधिनियम कहा गया है) की धारा 53क में, "धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ" शब्दों, अंको और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376घख" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 146 का संशोधन ।

9. साक्ष्य अधिनियम की धारा 146 के परंतुक में, "धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ" शब्दों, अंको और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376घख" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

अध्याय 4

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का संशोधन

धारा 26 का संशोधन ।

10. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता कहा गया है) की धारा 26 के खंड (क) के परंतुक में "धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ" शब्दों, अंको और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376घख" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 154 का संशोधन ।

11. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 की उपधारा (1) में,--

(i) पहले परंतुक में "धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ" शब्दों, अंको और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376घख" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) दूसरे परंतुक के खंड (क) में "धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ" शब्दों, अंको और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376घख" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 161 का संशोधन ।

12. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 की उपधारा (3) के दूसरे के परंतुक में "धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ" शब्दों, अंको और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376घख" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 164 का संशोधन ।

13. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 की उपधारा (5क) के खंड (क) में "धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ" शब्दों, अंको और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376घख" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 173 का संशोधन ।

14. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 में,-

(i) उपधारा (1क) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(1क) भारतीय दंड संहिता की धारा 376, धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376घख या धारा 376ड. के संबंध में अन्वेषण उस तारीख से, जिसको पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा इत्तिला अभिलिखित की गई थी, दो मास के भीतर पूरा किया जा सकेगा ।"; 1860 का 45

(ii) उपधारा (2) के खंड (i) के उपखंड (ज) में, "धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ" शब्दों, अंको और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376घख" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 197 का संशोधन ।

15. दंड संहिता की धारा 197 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में "धारा 376क, धारा 376ग, धारा 376घ" शब्दों, अंको और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376घख" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 309 का संशोधन ।

1860 का 45

16. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 309 की उपधारा (1) के परंतुक में "भारतीय दंड संहिता की धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग या धारा 376घ के अधीन किसी अपराध से संबंधित है, तब जांच या विचारण, यथासंभव" शब्दों, अंको और अक्षरों के स्थान पर, "भारतीय दंड संहिता की धारा 376, धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक या धारा 376घख के अधीन किसी अपराध से संबंधित है, तब जांच या विचारण" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 327 का संशोधन ।

17. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 327 की उपधारा (2) में "धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ" शब्दों, अंको और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376घख" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 357ख का संशोधन ।

1860 का 45

18. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357ख में "भारतीय दंड संहिता की धारा 326क या धारा 376घ" शब्दों, अंको और अक्षरों के स्थान पर, "भारतीय दंड संहिता की धारा 326क, धारा 376कख, 376घ, धारा 376घक और धारा 376घख" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 357ग का संशोधन ।

19. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357ग में "धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ" शब्दों, अंको और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376घख" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 374 का संशोधन ।

20. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

1860 का 45

"(4) जब भारतीय दंड संहिता की धारा 376, धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376घख या धारा 376ड. के अधीन पारित किसी दंडादेश के विरुद्ध अपील फाइल की गई है, तो अपील का निपटारा, ऐसी अपील फाइल किए जाने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा ।"।

धारा 377 का संशोधन ।

21. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 377 की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

1860 का 45

"(4) जब भारतीय दंड संहिता की धारा 376, धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376घख या धारा 376ड. के अधीन पारित किसी दंडादेश के विरुद्ध अपील फाइल की गई है, तो अपील का निपटारा, ऐसी अपील फाइल किए जाने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा ।"।

धारा 438 का संशोधन ।

22. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

1860 का 45

"(4) इस धारा की कोई बात भारतीय दंड संहिता की धारा 376 की उपधारा (3) या धारा 376कख या धारा 376घक और धारा 376घख के अधीन अपराध किए जाने के अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की दशा में लागू नहीं होगी ।"।

धारा 439 का संशोधन ।

23. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 में,--

(क) उपधारा (1) में पहले परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति की, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 376 की उपधारा (3) या धारा 376कख या धारा 376घक या धारा 376घख के अधीन विचारणीय किसी अपराध का अभियुक्त है, जमानत लेने के पूर्व जमानत के आवेदन की सूचना, ऐसे आवेदन की सूचना की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर लोक अभियोजक को देगा ।"। 1860 का 45

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(1क) भारतीय दंड संहिता की धारा 376 की उपधारा (3) या धारा 376क या धारा 376घक, धारा 376घख के अधीन व्यक्ति को जमानत के लिए आवेदन की सुनवाई के समय इत्तिला देने वाले या उसकी और से प्राधिकृत किसी व्यक्ति की उपस्थिति बाध्यकारी होगी ।"। 1860 का 45

पहली अनुसूची का संशोधन ।

24. भारतीय दंड संहिता की पहली अनुसूची में, "1. भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध" शीर्ष में,--

(क) धारा 376 से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

धारा	अपराध	दंड	संज्ञेय या असंज्ञेय	जमानतीय या अजमानतीय	किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है
1	2	3	4	5	6
"376	बलात्संग	"कठिन कारावास से, जो दस वर्ष से कम का नहीं होगा किन्तु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना" ;	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय।
	किसी पुलिस अधिकारी या किसी लोक सेवक या सशस्त्र बलों के सदस्य या किसी कारावास, सुधार गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान या स्त्री या बाल संस्था के प्रबंध में किसी व्यक्ति या कर्मचारी द्वारा या किसी अस्पताल के प्रबंध में किसी व्यक्ति	कठिन कारावास से, जो दस वर्ष से कम का नहीं होगा किन्तु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, जिसका अभिप्राय जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा और जुर्माना" ;	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय।

	या कर्मचारी द्वारा बलात्संग और बलात्संग पीड़ित की ओर से भरोसे या प्राधिकार के पद पर किसी व्यक्ति द्वारा या बलात्संग पीड़ित के किसी निकट नातेदार द्वारा बलात्संग				
	"सोलह वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्संग का अपराध करने वाले व्यक्ति	कठिन कारावास, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु, जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय।";

(ख) धारा 376क से संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

1	2	3	4	5	6
"धारा 376कख	बारह वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्संग का अपराध करने वाला व्यक्ति	कठिन कारावास, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु, जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा और जुर्माना अथवा मृत्यु	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय।";

(ग) धारा 376घ से संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

1	2	3	4	5	6
"धारा 376घक	सोलह वर्ष से कम आयु की स्त्री से	कठिन आजीवन कारावास, जिसका	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय

	सामूहिक बलात्संग	अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा और जुर्माना			
"धारा 376घख	बारह वर्ष से कम आयु की स्त्री से सामूहिक बलात्संग	आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा और जुर्माना अथवा मृत्यु	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय।"।

अध्याय 5

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 का संशोधन

2012 के अधिनियम सं0 32 की धारा 42 का संशोधन ।

25. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 42 में, "धारा 376क, धारा 376ग, धारा 376घ" शब्दों, अंको और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376घख" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

26. (1) दांडिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2018 को निरसित किया जाता है । 2018 का अध्यादेश सं0 2

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उन अधिनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी । 1860 का 45, 1872 का 1, 1974 का 2, 2012 का 32

उद्देश्यों और कारणों का कथन

सोलह वर्ष और बारह वर्ष से कम आयु की स्त्रियों के साथ बलात्संग और सामूहिक बलात्संग की हाल ही की घटनाओं ने संपूर्ण राष्ट्र के अंत:करण को झकझोर दिया है । इसलिए, सोलह वर्ष और बारह वर्ष से कम आयु की स्त्रियों के साथ बलात्संग और सामूहिक बलात्संग के अपराधों में और अधिक कठोर दंड के विधिक उपबंधों के माध्यम से प्रभावी निवारण अपेक्षित है । बलात्संग की हाल ही की कुछ घटनाओं में अवयस्क बालिकाओं पर अत्यधिक क्रूरता और हिंसा के संकेत मिले हैं । इससे समाज के विभिन्न वर्गों से ऐसे मामलों में और अधिक कठोर दांडिक उपबंध करने, अभियुक्तों को तुरंत गिरफ्तार करने और शीघ्र विचारण सुनिश्चित करने की मांग बढ़ गई है ।

2. चूंकि संसद् सत्र में नहीं थी तथा भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में आवश्यक संशोधन करने के लिए तुरंत कार्रवाई की जानी अपेक्षित थी, इसलिए, राष्ट्रपति ने 21 अप्रैल, 2018 को दांडिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2018 प्रख्यापित किया था ।

3. इसलिए, दांडिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2018 को प्रतिस्थापित करने के लिए दांडिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2018 पुर:स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के लिए उपबंध हैं :--

(क) बलात्संग के अपराध के लिए दंड को सात वर्ष के न्यूनतम कारावास से दस वर्ष का न्यूनतम कारावास करना, जो आजावीन कारावास तक बढ़ाया जा सकेगा ;

(ख) सोलह वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्संग के अपराध के लिए दंड, कठिन कारावास, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु, जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा और जुर्माने का भी दायी होगा ;

(ग) बारह वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्संग का अपराध के लिए दंड, कठिन कारावास, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु, जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा और जुर्माना अथवा मृत्यु होगा ;

(घ) सोलह वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री के साथ सामूहिक बलात्संग के अपराध के लिए दंड, आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा और जुर्माना होगा ;

(ङ) बारह वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री के साथ सामूहिक बलात्संग के अपराध के लिए दंड, आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा और जुर्माना अथवा मृत्यु होगा ;

(च) बलात्संग के सभी मामलों के संबंध में अन्वेषण उस तारीख से, जिसको पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा इतिला अभिलिखित की गई थी, दो मास

की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा ;

(छ) बलात्संग के अपराध के संबंध में जांच या विचारण को दो मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाना ;

(ज) बलात्संग के मामलों में किसी दोषसिद्धि या दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील को अपील फाइल किए जाने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर निपटाना ;

(झ) सोलह वर्ष और बारह वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ बलात्संग और सामूहिक बलात्संग के मामलों में अग्रिम जमानत के उपबंध लागू नहीं होंगे ;

(ञ) सोलह वर्ष से कम आयु, बारह वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ बलात्संग, सामूहिक बलात्संग के मामलों, बार-बार के अपराधियों के संबंध में, प्रथम इतिला रिपोर्टों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण को लागू करने के लिए, अधिरोपित जुर्माने का संदाय पीड़ित को करने के लिए, साक्ष्य को बेहतर रूप से लेखबद्ध करने को सुकर बनाने के लिए तथा बलात्संग पश्चातजीवी की गरिमा की रक्षा और अस्पतालों में नि:शुल्क उपचार के लिए भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में पारिणामिक ;

4. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
19 जुलाई, 2018

राजनाथ सिंह

खंडों का टिप्पण

खंड 1--यह खंड अधिनियम के संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 2--यह खंड भारतीय दंड संहिता की धारा 166क का संशोधन करने के लिए है जिससे इसमें नई प्रस्तावित धारा 376कख, धारा 376घक और धारा 376घख अन्तःस्थापित की जा सके ।

खंड 3--यह खंड भारतीय दंड संहिता की धारा 228क का संशोधन करने के लिए है जिससे इसमें नई प्रस्तावित धारा 376कख, धारा 376घक और धारा 376घख अन्तःस्थापित की जा सके ।

खंड 4--यह खंड भारतीय दंड संहिता की धारा 376 का संशोधन करने के लिए है जिससे इसमें उपबंधित दंड को सात वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष किया जा सके और सोलह वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्संग करने के लिए बीस वर्ष की अवधि के लिए, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंड का उपबंध करने के लिए एक नई उपधारा (3) अन्तःस्थापित की जा सके ।

खंड 5--यह खंड भारतीय दंड संहिता में एक नई धारा 376कख अन्तःस्थापित करने के लिए है जिससे बारह वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्संग करने के लिए बीस वर्ष की अवधि, जो आजीवन तक की हो सकेगी और जुर्माने से या मृत्यु से दंड का उपबंध किया जा सके ।

खंड 6--यह खंड भारतीय दंड संहिता में एक नई धारा 376घक अन्तःस्थापित करने के लिए है जिससे सामान्य आशय को अग्रसर करने में सोलह वर्ष की कम आयु की स्त्री से समूह में किए गए बलात्संग के लिए आजीवन कारावास और जुर्माने से दंड के लिए उपबंध किया जा सके ।

यह खंड एक नई धारा 376घक अन्तःस्थापित करने का और उपबंध करता है जिससे सामान्य आशय को अग्रसर करने में बारह वर्ष से कम आयु की स्त्री से समूह में किए गए बलात्संग के लिए आजीवन कारावास और जुर्माने से या मृत्यु से दंड का उपबंध किया जा सके ।

खंड 7--यह खंड भारतीय दंड संहिता की धारा 376 का संशोधन करने के लिए है जिससे भारतीय दंड संहिता की नई प्रस्तावित धारा 376कख, धारा 376घक और धारा 376घख को इसमें अन्तःस्थापित करने के लिए इन धाराओं को इसके कार्य-क्षेत्र के भीतर लाए जा सके ।

खंड 8--यह खंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 53क का संशोधन करने के लिए है जिससे भारतीय दंड संहिता की नई प्रस्तावित धारा

376कख, धारा 376घक और धारा 376घख को इसमें अन्तःस्थापित करने के लिए इन धाराओं को इसके कार्य-क्षेत्र के भीतर लाए जा सके ।

खंड 9--यह खंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 146 का संशोधन करने के लिए है जिससे भारतीय दंड संहिता की नई प्रस्तावित धारा 376कख, धारा 376घक और धारा 376घख को इसमें अन्तःस्थापित करने के लिए इन धाराओं को इसके कार्य-क्षेत्र के भीतर लाए जा सके ।

खंड 10--यह खंड दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 26 का संशोधन करने के लिए है जिससे भारतीय दंड संहिता की नई प्रस्तावित धारा 376कख, धारा 376घक और धारा 376घख को इसमें अन्तःस्थापित करने के लिए इन धाराओं को इसके कार्य-क्षेत्र के भीतर लाए जा सके ।

खंड 11--यह खंड दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 का संशोधन करने के लिए है जिससे भारतीय दंड संहिता की नई प्रस्तावित धारा 376कख, धारा 376घक और धारा 376घख को इसमें अन्तःस्थापित करने के लिए इन धाराओं को इसके कार्य-क्षेत्र के भीतर लाए जा सके ।

खंड 12--यह खंड दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 का संशोधन करने के लिए है जिससे भारतीय दंड संहिता की नई प्रस्तावित धारा 376कख, धारा 376घक और धारा 376घख को इसमें अन्तःस्थापित करने के लिए इन धाराओं को इसके कार्य-क्षेत्र के भीतर लाए जा सके ।

खंड 13--यह खंड दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 का संशोधन करने के लिए है जिससे भारतीय दंड संहिता की नई प्रस्तावित धारा 376कख, धारा 376घक और धारा 376घख को इसमें अन्तःस्थापित करने के लिए इन धाराओं को इसके कार्य-क्षेत्र के भीतर लाए जा सके ।

खंड 14--यह खंड दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 376, धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376घख, धारा 376ङ के अधीन अपराधों के विचारण को दो मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाए ।

खंड 15--यह खंड दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197 का संशोधन करने के लिए है जिससे भारतीय दंड संहिता की नई प्रस्तावित धारा 376कख, धारा 376घक और धारा 376घख को इसमें अन्तःस्थापित करने के लिए इन धाराओं को इसके कार्य-क्षेत्र के भीतर लाए जा सके ।

खंड 16--यह खंड दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 309 का संशोधन करने के लिए है जिससे भारतीय दंड संहिता की नई प्रस्तावित धारा 376कख, धारा 376घक और धारा 376घख को इसमें अन्तःस्थापित करने के लिए इन

धाराओं को इसके कार्य-क्षेत्र के भीतर लाए जा सके ।

खंड 17--यह खंड दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 327 का संशोधन करने के लिए है जिससे भारतीय दंड संहिता की नई प्रस्तावित धारा 376कख, धारा 376घक और धारा 376घख को इसमें अन्तःस्थापित करने के लिए इन धाराओं को इसके कार्य-क्षेत्र के भीतर लाए जा सके ।

खंड 18--यह खंड दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 357ख का संशोधन करने के लिए है जिससे भारतीय दंड संहिता की नई प्रस्तावित धारा 376कख, धारा 376घक और धारा 376घख को इसमें अन्तःस्थापित करने के लिए इन धाराओं को इसके कार्य-क्षेत्र के भीतर लाए जा सके ।

खंड 19--यह खंड दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 357ग का संशोधन करने के लिए है जिससे भारतीय दंड संहिता की नई प्रस्तावित धारा 376कख, धारा 376घक और धारा 376घख को इसमें अन्तःस्थापित करने के लिए इन धाराओं को इसके कार्य-क्षेत्र के भीतर लाए जा सके ।

खंड 20--यह खंड दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 का संशोधन के लिए है जिससे इसमें यह उपबंध करने के लिए उपधारा (4) अन्तःस्थापित की जा सके कि बलात्संग के अपराधों के विरूद्ध अपील ऐसी अपील के फाइल किए जाने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर निपटाई जाएगी ।

खंड 21--यह खंड दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 377 का संशोधन के लिए है जिससे इसमें यह उपबंध करने के लिए उपधारा (4) अन्तःस्थापित की जा सके कि बलात्संग के अपराधों के विरूद्ध अपील ऐसी अपील के फाइल किए जाने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर निपटाई जाएगी ।

खंड 22--यह खंड भारतीय दंड संहिता, 1973 की धारा 438 का संशोधन करने के लिए है जिससे इसमें यह उपबंध करने के लिए उपधारा (4) अन्तःस्थापित की जा सके कि इस धारा के उपबंध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 की उपधारा (3), धारा 376कख, धारा 376घक और 376घख के अधीन अपराधों को लागू नहीं होंगे ।

खंड 23--यह खंड दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439 का संशोधन के लिए है जिससे कि धारा 376 की उपधारा (3), धारा 376क, धारा 376घक या धारा 376घख के अधीन अपराधों से सम्बन्धित जमानत के आवेदन की सूचना को लोक अभियोजक पर पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर तामील करने का उपबंध करने के लिए इसमें एक परंतुक अन्तःस्थापित की जा सके ।

खंड उपधारा (1क) और अन्तःस्थापित करने के लिए है जिससे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 की उपधारा (3), धारा 376क, धारा 376घक या धारा 376घख के अधीन अपराधों के लिए जमानत के लिए आवेदन की सुनवाई के समय उपस्थित होने के लिए इतिला देने वाले या उसके प्राधिकृत व्यक्ति के लिए

इसे बाध्यकारी बनाया जा सके ।

खंड 24--यह खंड दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की पहली अनुसूची का संशोधन करने के लिए है जो भारतीय दंड संहिता के संशोधनों का पारिणामिक है ।

खंड 25--यह खंड लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 42 का संशोधन करने के लिए जिससे कि इसमें भारतीय दंड संहिता की नई प्रस्तावित धारा 376कख, धारा 376घक और धारा 376घख अन्तःस्थापित करने के लिए इन धाराओं को इसके कार्य-क्षेत्र के भीतर लाए जा सके ।

खंड 26--यह खंड दंड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2018 के निरसन और व्यावृत्तियों का उपबंध करने के लिए है ।

दांडिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2018 को प्रतिस्थापित करने के लिए विधेयक में अंतर्विष्ट उपांतरणों का स्पष्टीकारक ज्ञापन

दांडिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2018, जो दांडिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2018 को प्रतिस्थापित करने के लिए है, में उक्त अध्यादेश में अंतर्विष्ट उपबंधों में पारिणामिक और प्रारूपिक प्रकृति के उपांतरणों के अतिरिक्त निम्नलिखित उपांतरण करने का प्रस्ताव है, अर्थात) :--

1. भारतीय दंड संहिता

भारतीय दंड संहिता की धारा 376ङ (बलात्संग के बार-बार के अपराधियों के लिए दंड) का संशोधन करने के लिए विधेयक में नए खंड 7 का अंत:स्थापन :-- 'दंड संहिता की धारा 376ङ में, "धारा 376 या धारा 376क या धारा 376घ" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 376 या धारा 376क या धारा 376कख या धारा 376घ या धारा 376घक या धारा 376घख" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।'

2. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

विधेयक के खंड 23 में, दंड प्रक्रिया संहिता की पहली अनुसूची में "1- भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध" शीर्ष के अधीन धारा 376 के सामने स्तंभ 3 के दूसरे भाग का भूल से लोप कर दिया था । उसे पुन:स्थापित करने के लिए उक्त धारा के सामने संपूर्ण प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित कर दिया गया है ।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 – कोई परिवर्तन नहीं ।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 – कोई परिवर्तन नहीं ।

उपाबंध

भारतीय दण्ड संहिता (1860 का अधिनियम संख्यांक 45) से उद्धरण

* * * * * *

लोक सेवक, जो विधि के अधीन के निदेश की अवज्ञा करता है ।

166क. जो कोई लोक सेवक होते हुए,--

* * * * * *

(ग) धारा 326क, धारा 326ख, धारा 354, धारा 354ख, धारा 370, धारा 370क, धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376ङ या धारा 509 के अधीन दंडनीय संज्ञेय अपराध के संबंध में उसे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 की उपधारा (1) के अधीन दी गई किसी सूचना को लेखबद्ध करने में असफल **रहेगा,**

वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किंतु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

* * * * * *

कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण ।

228क. (1) जो कोई किसी नाम या अन्य बात को, जिससे किसी ऐसे व्यक्ति की (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् पीड़ित व्यक्ति कहा गया है) पहचान हो सकती है, जिसके विरुद्ध धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग या धारा 376घ के अधीन किसी अपराध का किया जाना अभिकथित है या किया गया पाया गया है, मुद्रित या प्रकाशित करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

* * * * * *

बलात्संग के लिए दंड ।

376. (1) जो कोई, उपधारा (2) में उपबंधित मामलों के सिवाय, बलात्संग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

(2) जो कोई--

(क) पुलिस अधिकारी होते हुए--

(i) उस पुलिस थाने की, जिसमें ऐसा पुलिस अधिकारी नियुक्त है, सीमाओं के भीतर बलात्संग करेगा; या

* * * * * *

पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए दंड ।

376ङ. जो कोई, धारा 376 या धारा 376क या धारा 376घ के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए पूर्व में दंडित किया गया है और तत्पश्चात् उक्त धाराओं में से किसी के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, आजीवन कारावास से, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, या मृत्युंड से दंडित किया जाएगा ।

* * * * * *

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का अधिनियम संख्यांक 1) से उद्धरण

* * * * * *

कतिपय मामलों में शील या पूर्व लैंगिक अनुभव के साक्ष्य का सुसंगत न होना ।

53क. भारतीय दंड संहिता की धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ या धारा 376ङ के अधीन किसी अपराध के लिए या किसी ऐसे अपराध के किए जाने का प्रयत्न करने के लिए, किसी अभियोजन में जहां सम्मति का प्रश्न विवाद्य है, वहां पीड़िता के शील या ऐसे व्यक्ति का किसी व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य ऐसी सम्मति या सम्मति की गुणता के मुद्दे पर सुसंगत नहीं होगा ।

* * * * * *

प्रतिपरीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न ।

146. जब कि किसी साक्षी से प्रतिपरीक्षा की जाती है, तब उसे एतस्मिनपूर्व निर्दिष्ट प्रश्नों के अतिरिक्त ऐसे कोई भी प्रश्न पूछे जा सकेंगे, जिनकी प्रवृत्ति,--

(1) उसकी सत्यवादिता रखने की है,

(2) यह पता चलाने की है कि वह कौन है और जीवन में उसकी स्थिति क्या है, अथवा

(3) उसके शील को दोष लगाकर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुचाने की है, चाहे ऐसे प्रश्नों का उत्तर उसे प्रत्यक्षता या परोक्षता अपराध में फसाने की प्रवृत्ति रखता हो, या उसे किसी शास्ति या समपहृण के लिए उच्छन्न करता हो या प्रत्यक्षता या परोक्षता उच्छन्न करने की प्रवृत्ति रखता हो ।

परंतु भारतीय दंड संहिता की धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ या धारा 376ङ के अधीन किसी अपराध के लिए या ऐसे किसी अपराध के किए जाने का प्रत्यत्न करने के लिए किसी अभियोजन में, जहां सम्मति का प्रश्न विवाद्य है, वहां पीड़िता की प्रतिपरीक्षा में उसके साधारण व्याविचार या किसी व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव के बारे में ऐसी सम्मति या सम्मति की प्रकृति के लिए साक्ष्य देना या प्रश्नों को पूछना अनुज्ञेय नहीं होगा ।

* * * * * *

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्यांक 2) से उद्धरण

* * * * * *

अध्याय 3

न्यायालयों की शक्ति

न्यायालय, जिनके द्वारा अपराध विचारणीय हैं ।

1860 का 45

26. इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, –

(क) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन किसी अपराध का विचारण –

(i) उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, या

(ii) सेशन न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, या

(iii) किसी अन्य ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके द्वारा उसका विचारणीय होना प्रथम अनुसूची में दर्शित किया गया है :

परंतु भारतीय दंड संहिता, की धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ या धारा 376ङ के अधीन किसी अपराध का विचारण यथासाध्य ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जिसमें महिला पीठासीन हो ।

* * * * * *

अध्याय 12

पुलिस को इत्तिला और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियां

संज्ञेय मामलों में इत्तिला ।

154. (1) संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तिला, यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को मौखिक दी गई है तो उसके द्वारा या उसके निदेशाधीन लेखबद्ध कर ली जाएगी और इत्तिला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी और प्रत्येक ऐसी इत्तिला पर, चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या पूर्वोक्त रूप में लेखबद्ध की गई हो, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जो उसे दे और उसका सार ऐसी पुस्तक में, जो उस अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखी जाएगी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त विहित करे, प्रविष्ट किया जाएगा ।

परंतु यदि किसी स्त्री द्वारा, जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 326क, धारा 326ख, धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376ङ या धारा 509 के अधीन किसी अपराध के किए जाने या किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है, कोई इत्तिला दी जाती है तो ऐसी इत्तिला किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जाएगी और ऐसी स्त्री को विधिक सहायता और किसी स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता या महिला संगठन या दोनों की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी :

परन्तु यह और कि--

(क) यदि वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376ङ या धारा 509 के अधीन किसी अपराध के किए जाने का या किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है, अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से नःशक्त है, तो ऐसी इत्तिला किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति के, जो ऐसे अपराध की रिपोर्ट करने की ईप्सा करता है, निवास-स्थान पर या उस व्यक्ति के विकल्प के किसी सुगम स्थान पर, यथास्थिति, किसी द्विभाषिए या किसी विशेष प्रबोधक की उपस्थिति में अभिलिखित की जाएगी ;

* * * * * *

पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा ।

161. (1) * * * * *

(3) पुलिस अधिकारी इस धारा के अधीन परीक्षा के दौरान उसके समक्ष किए गए किसी भी कथन को लेखबद्ध कर सकता है और यदि वह ऐसा करता है, तो वह प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के कथन का पृथक् और सही अभिलेख बनाएगा, जिसका कथन वह

अभिलिखित करता है ।

* * * * * *

परंतु यह और कि किसी ऐसी स्त्री का कथन, जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376ङ या धारा 509 के अधीन किसी अपराध के किए जाने या किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है, किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा ।

* * * * * *

164. (1) * * * * *

संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करना ।

(5क) (क) भारतीय दंड संहिता की धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 376 की उपधारा (1) या उपधारा (2), धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376ङ या धारा 509 के अधीन दंडनीय मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति का, जिसके विरुद्ध उपधारा (5) में विहित रीति में ऐसा अपराध किया गया है, कथन जैसे ही अपराध का किया जाना पुलिस की जानकारी में लाया जाता है, अभिलिखित करेगा :

परंतु यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से नःशक्त है, तो मजिस्ट्रेट कथन अभिलिखित करने में किसी दिवभाषिए या विशेष प्रबोधक की सहायता लेगा :

परंतु यह और कि यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से नःशक्त है तो किसी दिवभाषिए या विशेष प्रबोधक की सहायता से उस व्यक्ति द्वारा किए गए कथन की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी ;

* * * * * *

173. (1) * * * * *

अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट ।

(1क) बालिका के साथ बलात्संग के संबंध में अन्वेषण उस तारीख से, जिसको पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा इत्तिला अभिलिखित की गई थी, तीन मास के भीतर पूरा किया जा सकेगा ।

(2) (i) जैसे ही वह पूरा होता है, वैसे ही पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, पुलिस रिपोर्ट पर उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार द्वारा विहित प्ररूप में एक रिपोर्ट भेजेगा, जिसमें निम्नलिखित बातें कथित होंगी :–

* * * * * *

(ज) जहां अन्वेषण भारतीय दंड संहिता, (1860 का 45) की धारा 376, 376क, धारा 376ख, धारा 376ग या धारा 376घ के अधीन किसी अपराध के संबंध में है, वहां क्या स्त्री की चिकित्सा परीक्षा की रिपोर्ट संलग्न की गई है ।

* * * * * *

197. (1) जब किसी व्यक्ति पर, जो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट या ऐसा लोक सेवक है या था जिसे सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी से ही उसके पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं, किसी ऐसे अपराध का अभियोग है जिसके बारे में यह अभिकथित है कि

न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन ।

वह उसके द्वारा तब किया गया था जब वह अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहा था जब उसका ऐसे कार्य करना तात्पर्यित था, तब कोई भी न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान –

* * * * * *

स्पष्टीकरण – शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि ऐसे किसी लोक सेवक की दशा में, जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उसने भारतीय दंड संहिता की धारा 166क, धारा 166ख, धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 370, धारा 375, धारा 376, धारा 376क, धारा 376ग, धारा 376घ या धारा 509 के अधीन कोई अपराध किया है, कोई पूर्व मंजूरी अपेक्षित नहीं होगी । 1860 का 45

* * * * * *

कार्यवाही को मुल्तवी या स्थगित करने की शक्ति ।

309. (1) प्रत्येक जांच या विचारण में, कार्यवाहियां सभी हाजिर साक्षियों की परीक्षा हो जाने तक दिन-प्रतिदिन जारी रखी जाएंगी, जब तक कि ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, न्यायालय उन्हें अगले दिन से परे स्थगित करना आवश्यक न समझे :

परंतु जब जांच या विचारण भारतीय दंड संहिता की धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग या धारा 376घ के अधीन किसी अपराध से संबंधित है, तब जांच या विचारण, यथासंभव आरोपपत्र फाइल किए जाने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा ।"। 1860 का 45

* * * * * *

न्यायालयों का खुला होना ।

327. (1) * * * * *

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, भारतीय दंड संहिता, (1860 का 45) की धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग या धारा 376घ के अधीन बलात्संग या किसी अपराध की जांच या उसका विचारण बंद कमरे में किया जाएगा :

परन्तु पीठासीन न्यायाधीश, यदि वह ठीक समझता है तो, या दोनों में से किसी पक्षकार द्वारा आवेदन किए जाने पर, किसी विशिष्ट व्यक्ति को, उस कमरे में या भवन में, जो न्यायालय द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है, प्रवेश करने, होने या रहने की अनुज्ञा दे सकता है :

परंतु यह और कि बंद कमरे में विचारण यथासाध्य किसी महिला न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा ।

* * * * * *

प्रतिकर का भारतीय दंड संहिता की धारा 326क या धारा 376घ के अधीन के जुर्माने के अतिरिक्त होना ।

357ख. भारतीय दंड संहिता की धारा 357क के अधीन राज्य सरकार द्वारा संदेय प्रतिकर धारा 326क या धारा 376घ के अधीन पीड़िता को जुर्माने का संदाय करने के अतिरिक्त होगा । 1860 का 45

पीड़ितों का उपचार ।

357ग. सभी लोक या प्राइवेट अस्पताल, चाहे वे केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे हों, भारतीय दंड संहिता की धारा 326क, धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ या धारा 1860 का 45

376ङ के अधीन आने वाले किसी अपराध के पीड़ितों को तुंत नःशुल्क प्राथमिक या चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराएंगे और ऐसी घटना की पुलिस को तुरन्त सूचना देंगे ।

* * * * * *

पहली अनुसूची

अपराधों का वर्गीकरण

स्पष्टीकरण नोट : (1) भारतीय दंड संहिता के अअधीन अपराधों के बारे में, उस धारा के सामने की, जिसका संख्यांक प्रथम स्तंभ में दिया हुआ है, द्वितीय और तृतीय स्तंभों की प्रविष्टियां भारतीय तंड संहिता की अपराध की परिभाषा के और उसके लिए विहित दंड के रूप में आशयित नहीं हैं, वरन उस धारा का सारांश बताने के लिए ही आशयित है ।

(2) इस अनुसूची में (i) "प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट" और "कोई मजिस्ट्रेट" पदों के अन्तर्गत महानगर मजिस्ट्रेट भी है, किन्तु कार्यपालन मजिस्ट्रेट नहीं है; (ii) "संज्ञेय" शब्द "कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा" के लिए है; और (iii) "असंज्ञेय" शब्द "कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं करेगा" के लिए है ।

1. भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध

धारा	अपराध	दंड	संज्ञेय या असंज्ञेय	जमानतीय या अजमानतीय	किस न्यायालय द्वार विचारणीय है
1	2	3	4	5	6
		अध्याय 5 - दुष्प्रेरण			
*	*	* *		*	*
"376	बलात्संग	कम से कम सात वर्ष के लिए कठोर कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय ।
	किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी लोक सेवक या सशस्त्र बलों के सदस्य द्वारा या किसी जेल, प्रतिप्रेषण-गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था के प्रबंध तंत्र या कर्मचारिवृंद में के किसी व्यक्ति द्वारा या किसी अस्पताल के प्रबंधतंत्र या कर्मचारिवृंद में के	कम से कम दस वर्ष के लिए कठोर कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास अभिप्रेत होगा तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय ।

	किसी व्यक्ति द्वारा बलात्संग और उस व्यक्ति के प्रति, जिससे बलात्संग किया गया है न्यास या प्राधिकारी की स्थिति में किसी व्यक्ति द्वारा या उस व्यक्ति के, जिससे बलात्संग किया गया है, किसी निकट नातेदार द्वारा किया गया बलात्संग ।

* * * * * *

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2011 (2012 का अधिनियम संख्यांक 32) से उद्धरण

* * * * * *

आनुकल्पिक दंड ।

42. जहां किसी कार्य या लोप से इस अधिनियम के अधीन और भारतीय दंड संहिता की धारा 166क, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 370, धारा 370क, धारा 375, धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, 376ङ या धारा 509 के अधीन भी दंडनीय कोई अपराध गठित होता है वहां, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अपराध का दोषी पाया गया अपराधी उस दंड का भागी होगा, जो इस अधिनियम के अधीन या भारतीय दंड संहिता के अधीन मात्रा में गुरुतर है । 1860 का 45

* * * * * *

MGIPMRND—807LS(CRC)—19-7-2018.